न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 317/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/519)

1. विजेन्द्र सिंह पुत्र रामस्वरूप,
2. धोल्याराम पुत्र गंगोली,
3. प्रभूदयाल पुत्र रामस्वरूप,
4. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मण,
5. मंगतूराम पुत्र गंगाबक्श,

समस्त जाति जाट, निवासी नारनौल खुर्द तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. लाली देवी पत्नी मूलचन्द मीणा, निवासी ग्राम भनोखर तहसील कठूमर, जिला अलवर।

– रेस्पोडेन्ट

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर।

– प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला अलवर दिनांक 28.08.2023 प्रार्थना पत्र संख्या 03/3 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/63 उनवानी लाली देवी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री राजाराम चौधरी, वकील अपीलान्ट।
2. श्री सांवतराम गुर्जर, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–14.02.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 28.08.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला अलवर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख.नं. हाल 719/541 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम नारनौल खुर्द, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर विवादित है। आराजी ख०नं० 541 जिसका रकबा 59 बीघा वाके ग्राम नारनौल खुर्द, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर में स्थित है, जो आराजी राजस्थान सरकार द्वारा कन्वर्ट करके चारागाह से सिवायचक में तब्दील की गई तथा भूमिहीन गरीब किसानों को आवंटित कर दी गई। आवंटित व्यक्तियों में से जिन जिन व्यक्तियों ने मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया उनका आवंटन बहाल रखा गया। जिन्होंने मौके पर कब्जा प्राप्त नहीं किया उनका आवंटन राज्य सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया तथा 5 बीघा आराजी राज्य सरकार द्वारा मानसिंह पुत्र उम्मेदसिंह राजपूत रिटायर्ड फौजी को आवंटित हुई और आराजी मुतनाजा में विधिक रूप से कब्जा प्राप्त कर लिया। आवंटी द्वारा आराजी का नियमानुसार सरकार लगान अदा किया जाता रहा है तथा आराजी मुतनाजा को प्रार्थीनी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा विक्रय कर दिया, राजस्व रिकॉर्ड में उक्त खसरा नम्बर का तितम्बा कटा हुआ है क्योंकि खसरा नम्बर का पूरा क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण प्रार्थीनी के कब्जे की आराजी के तितम्बे के संबंध में अप्रार्थी द्वारा बार–बार यह कहा जाता रहा है कि तुमने ज्यादा रकबे पर कब्जा कर लिया है, हम तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करेंगे,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

क्योंकि प्रार्थीनी के कब्जे के चारों तरफ अप्रार्थी की जमीन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी की कब्जे की जमीन ख०नं० 719/541 की पत्थरगढी या तारबंदी प्रार्थीनी करवाना चाहती है। जिससे कि प्रार्थीनी को बार बार विवादों में ना फसना पड़े। पत्थरगढी व तारबंदी में जो भी खर्चा आयेगा प्रार्थीनी वहन करने को तैयार है। इस कार्य से अप्रार्थी को कोई नुकसान नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी ख०नं० 719/541 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम नारनौल खुर्द, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर की मौके पर पत्थरगढी व तारबंदी करने बाबत तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला अलवर द्वारा प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लक्ष्मणगढ को आदेशित किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 719/541 रकबा 1.2645 है0 वाके ग्राम नारनौल खुर्द, तहसील लक्ष्मणगढ का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2023 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 28.08.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट विजेन्द्र सिंह पुत्र रामस्वरूप वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला अलवर दिनांक 28.08.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2023 तथ्यों एवं कानून के विपरीत होने की वजह से निरस्तनीय हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना कतई परवर्स आदेश पारित किया है। विधि की सुस्थापित व्यवस्था है कि किसी भी आदेश को पारित करने से पूर्व उसमें प्रभावित पक्षकारों को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात ही आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि विवादग्रस्त के समस्त खातेदारों को बिना पक्षकार कायम कर, पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। विधि अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व विवादग्रस्त भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार किया जाना आवश्यक हैं। उसके पश्चात ही सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होने के पश्चात भी बिना सीमाज्ञान रिपोर्ट के अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं। विवादग्रस्त भूमि के संबंध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश लक्ष्मणगढ, अलवर के समक्ष वाद विचाराधीन होने एवं उक्त वाद में स्टे होने के कारण जब तक उपरोक्त नियमित वाद का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक प्रार्थना पत्र जो कि एक संक्षिप्त कार्यवाही हैं के तहत कोई अपीलाधीन आदेश पारित नहीं किया जा सकता। विधि अनुसार पत्थरगढी हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय चारों दिशाओं के पड़ौसी खातेदार काश्तकारों को पक्षकार संयोजित कर आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हैं। प्रस्तुत प्रकरण में तो किसी भी पडौसी खातेदार को पक्षकार कायम नहीं किये जाने की वजह से भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं। राजस्थान राज्य सरकार के सर्कुलर के अनुसार चारागाह भूमि में किये गये सभी आवंटनों को निरस्त कर पुनः चारागाह दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाने के पश्चात भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्थरगढ़ी किये जाने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की आड में चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा करने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्तागण/प्रार्थीया का विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं हैं। कब्जा काश्त करने की नियत से पत्थरगढी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। पत्थरगढी के आदेश की आड में जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला अलवर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.08.2023 को निरस्त फरमाया जावें।

6. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने अपील का विरोध करते हुये कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला अलवर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु पेश किया था। जिसमें अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार रहे है, जिन्हे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तलबी नोटिस जारी किये गये है। आराजी खसरा नम्बर 719/541 रकबा 5 बीघा भूमि वाके ग्राम नारनौल खुर्द, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर में स्थित है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात है जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी आराजीयात व फसल की पशुओं से सुरक्षार्थ आदि के लिये सीमाज्ञान, पत्थरगढी इत्यादि करवाने का कानूनन हक, अधिकार प्रदत्त है। उन्होनें यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2023 पारित किये गये। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनी हक अधिकार प्रदत्त नहीं है बल्कि अपीलार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के परीक्षण पश्चात विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2023 पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2021(2) आरआरटी 1256 पेश किये गये।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के परीक्षण पश्चात विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2023 पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों एवं समस्त दस्तावेजों का विश्लेषण किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से यह विदित है कि ग्राम नारनौल खुर्द, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 541 रकबा 64 बीघा में से कुछ भूमि को सिवायचक में किस्म परिवर्तन कर कुछ लोगों को आवंटित की गई थी, किन्तु बाद में जिन्हें कब्जा नहीं दिया गया था, उक्त भूमि पर उनका आवंटन निरस्त किया गया। वर्ष 2019 में खसरा नम्बर 541 रकबा 61 बीघा किस्म चारागाह में से 5 बीघा भूमि का अलग खसरा नम्बर 791/541 दर्ज कर रेस्पोडेन्ट के नाम अंकित कर दी गई। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम नारनौल खुर्द के आराजी खसरा नम्बर 719/541 रकबा 1.2645 है0 लाली देवी पत्नि मूलचन्द हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा. भनोखर खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा, भनोखर के नाम दर्ज रिकार्ड है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में रेस्पोडेन्ट को किए गए उक्त आवंटन को निरस्त करवाने के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू आवंटन नियम 1970 विरूद्व निर्णय भू आवंटन सलाहकार समिति राजगढ़ जरिये अध्यक्ष, उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ दिनांक 03.10.1975 प्रस्तुत किया गया था, जिसके निर्णय दिनांक 14.09.2006 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाकर रेस्पोडेन्ट को खातेदार मानते हुए उसके पक्ष में भूमि का आवंटन यथावत् रखा गया था। उक्त निर्णय के विरूद्व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर में पक्षकारान द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। जिसके निर्णय दिनांक 05.10.2007 में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय को सही मानते हुए उक्त आवंटन यथावत रखा गया एवं अपील को सारहीन मानते हुए निरस्त किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

इसके पश्चात अपीलार्थी द्वारा एक दावा न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर में प्रश्नगत भूमि को राजस्व रिकार्ड में चारागाह घोषित करने एवं रेस्पोडेन्ट को काश्त न करने से पाबन्द किये जाने के उद्देश्य से दावा इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा मंगतू पटेल वगैरह बनाम राजस्थान सरकार वगै0 प्रस्तुत किया गया। जिसमें आदेश दिनांक 02.12.2021 से यह निर्णय पारित किया गया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 सि.प्र.सं. विरूद्ध अप्रार्थीगण दिनांक 01.07.2021 अप्रार्थीगण को कब्जे काश्त एवं मौके की स्थिति यथावत रखने की हद तक अस्वीकार कर खारिज किये जाने तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 को रिकार्ड मात्र की स्थिति यथावत रखने बाबत जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया है। उक्त आदेश दावे के निर्णय तक प्रभावी रखने के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय की अपील अपर जिला न्यायाधीश लक्ष्मणगढ, जिला अलवर में पेश की गई। जिसमें निर्णय दिनांक 17.10.2023 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2021 की पुष्टि की गई। उभय पक्षकारान द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत दावे को वर्तमान में लम्बित बताया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिनका कब्जा नहीं था उनके समस्त आवंटन निरस्त किये जा चुके हैं, किन्तु रेस्पोडेन्ट के नाम भूमि का आवंटन यथावत है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा यह तथ्य तो स्वीकार किया गया है कि रेस्पोडेन्ट प्रश्नगत भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। न्यायिक दृष्टान्त 2021(2) आरआरटी 1256 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 13.07.2021 के अनुसार निर्णित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कृषि भूमि की सीमाओं का ज्ञान रखने का अधिकार है। उपरोक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में हम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के तर्क से पूर्ण सहमत हैं कि रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वयं एवं अन्य खातेदारों के बीच कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने के दृष्टिगत पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए निर्णय पारित किया गया है, जो कि उचित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.08.2023 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 28.08.2023 को यथावत रखा जाता है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.08.2023 यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा) 14/2/25
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 14.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त, 14/2/25
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर